राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांकः प.14(88)वित्त(नियम)/2008 जयपुर, दिनांकः 5 JULY 2013

ज्ञापन

विषयः राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अन्तर्गत परिवर्तित ग्रेड–पे के फलस्वरूप ए.सी.पी. की अनुज्ञेयता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

वेतन उच्चीकरण एवं विसंगति निवारण समिति की अनुशंसाओं के क्रम में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की क्रियान्विति में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ14(1)वित्त(नियम)/2013–I, दिनांक 06.04.2013 एवं प्रमुख शासन सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसाओं के क्रम में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की क्रियान्विति में अधिसूचना संख्या प.14(1)वित्त(नियम)/2013–I एवं II, दिनांक 28.06.2013 से विद्यमान पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे को दिनांक 01.07.2013 से परिवर्तित किया गया है।

2. रनिंग पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे परिवर्तित किये जाने पर कुछ कर्मचारी संगठनों एवं विभागों ने संशय प्रकट किया है कि जिन कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2013 के पूर्व ही ए.सी.पी. नियमों के अन्तर्गत ए.सी.पी. प्राप्त कर रहे थे, ऐसे कर्मचारियों को ए.सी.पी. का लाभ किस प्रकार अनुज्ञेय होगा।

3. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अनुसार जिन पदों का रनिंग पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे उपरोक्त अधिसूचनाओं से परिवर्तित हो गया है, उन पद धारकों को जिनकी पदोन्नति नहीं हुई हैं, उन्हें परिवर्तित रनिंग पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे के आधार पर ए.सी.पी दिनांक 01.07.2013 से निम्नानुसार अनुज्ञेय होगीः–

प्रथम नियुक्ति पद की ग्रेड–पे (30.06.2013 तक)	वर्तमान एसीपी की ग्रेड–पे (30.06.2013 तक)	परिवर्तित ग्रेड–पे के अनुसार प्रथम नियुक्ति पद की ग्रेड–पे (01.07.2013 से)	परिवर्तित ग्रेड–पे के आधार पर एसीपी की ग्रेड–पे (01.07.2013 से)
1300	1400, 1650, 1800	1700	1750, 1900, 2000
1400	1650, 1800, 1850		
1650	1800, 1850, 1900	1750	1900, 2000, 2400
1800	1850, 1900, 2000	1900	2000, 2400, 2800
1850	1900, 2000, 2100	2000	2400, 2800, 3600
1900	2000, 2100, 2400	2400	2800, 3600, 4200
2000	2100, 2400, 2800		
2100	2400, 2800, 3200		
2400	2800, 3200, 3600	2800	3600, 4200, 4800
2800	3200, 3600, 4200		
2800 (अध्यापक एवं समकक्ष)	3200, 3600, 4200	3600	4200, 4800, 5400
3200 (नर्स ग्रेड–II)	3600, 4200, 4800	4200	4800, 5400, 6000
4200	4800, 5400, 6000	4800	5400, 6000, 6600

उदाहरणार्थ –

(i) लिपिक ग्रेड–II (कनिष्ठ लिपिक) जिनका ग्रेड–पे संशोधन से पूर्व ग्रेड–पे रू. 1900 थी तथा जो 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी.–I के रूप में ग्रेड–पे रू. 2000 ले रहे थे, उनका दिनांक 01.07.2013 में वेतन स्थिरिकरण ए.सी.पी.–I के रूप में ग्रेड–पे रू. 2800 में होगा।

(ii) अध्यापक पद की ग्रेड–पे रू. 2800 थी जिसे दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड–पे रू. 3600 परिवर्तित की गई है। ऐसे अध्यापकों को पूर्व में 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी.–I के रूप में ग्रेड–पे रू. 3200 अनुज्ञेय थी, उनकी अब दिनांक 01.07.2013 से पद की परिवर्तित ग्रेड–पे रू. 3600 के आधार ए.सी.पी.–I में ग्रेड–पे रू. 4200 अनुज्ञेय होगी।

(iii) वरिष्ठ अध्यापक पद की ग्रेड–पे रू. 3600 थी जिसे दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड–पे रू. 4200 परिवर्तित की गई है। ऐसे अध्यापकों को पूर्व में 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी.–I के रूप में ग्रेड–पे रू. 4200 अनुज्ञेय थी, उनकी अब दिनांक 01.07.2013 से पद की परिवर्तित ग्रेड–पे रू. 4200 के आधार ए.सी.पी.–I में ग्रेड–पे रू. 4800 अनुज्ञेय होगी।

(vi) राज्य सेवा के अधिकारी जिनकी ग्रेड–पे रु. 4200 थी (जो 01.07.2013 से रु. 4800 परिवर्तित हो गई है) एवं जो 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी.–I नियमों के आधार पर ग्रेड–पे रु. 4800 प्राप्त कर रहे थे, उनकी परिवर्तित ए.सी.पी.–I ग्रेड–पे दिनांक 01.07.2013 से रु. 5400 होगी (01.07.2013 से ग्रेड पे रु. 4200 के स्थान पर रु. 4800 संशोधित होने के कारण)

4. इस प्रकार के कर्मचारी जिन्होंने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 का विकल्प पूर्व के चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त कर लिया है, उनके लिये ए.सी.पी. में ग्रेड–पे निम्नानुसार होगी:–

(i) कनिष्ठ लिपिक (3050–4590) जो 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान नियमों के आधार पर (4000–6000) समतुल्य ए.सी.पी.–I ग्रेड–पे रू. 2400 प्राप्त कर रहे थे, उनकी परिवर्तित ग्रेड–पे दिनांक 01.07. 2013 से रू. 2800 हो जायेगी तथा उन्हें 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए. सी.पी.–II में परिवर्तित ग्रेड–पे रू. 3600 प्राप्त होगी।

(ii) पटवारी (3050–4590) जो 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान नियमों के आधार पर (5000–8000) समतुल्य ए.सी.पी.–I ग्रेड–पे रू. 3200 प्राप्त कर रहे थे, उनकी परिवर्तित ग्रेड–पे दिनांक 01.07.2013 से रू. 3600 (ग्रेड–पे रू. 3200 विलोपित होने के कारण) हो जायेगी तथा उन्हें 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी.–II में परिवर्तित ग्रेड–पे रू. 4200 प्राप्त होगी।

(iii) कनिष्ठ लेखाकार (5000–8000) जो 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान नियमों के आधार पर (5500–9000) समतुल्य ग्रेड–पे रू. 3600 प्राप्त कर रहे थे, उनकी परिवर्तित ग्रेड–पे दिनांक 01.07.2013 से रू. 4200 हो जायेगी तथा उन्हें 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी.–II में परिवर्तित ग्रेड–पे रू. 4800 प्राप्त होगी एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी.– III में परिवर्तित ग्रेड–पे रू. 5400 प्राप्त होगी।

(iv) कनिष्ठ लिपिक (3050–4590) जो 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान नियमों के आधार पर (5000–8000) समतुल्य ग्रेड–पे रू. 3200 प्राप्त कर रहे थे, उनकी परिवर्तित ग्रेड–पे दिनांक 01.07.2013 से रू. 3600 हो जायेगी तथा उन्हें 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी.– III में परिवर्तित ग्रेड–पे रू. 4200 प्राप्त होगी।

(v) पटवारी (3050–4590) जो 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान नियमों के आधार पर (5500–9000) समतुल्य ए.सी.पी.–II ग्रेड–पे रू. 3600 प्राप्त कर रहे थे, उनकी परिवर्तित ए.सी.पी.–II ग्रेड–पे दिनांक 01.07.2013 से रू. 4200 हो जायेगी तथा उन्हें 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी.– III में परिवर्तित ग्रेड–पे रू. 4800 प्राप्त होगी।

(vi) कॉन्सेटबल (3050–4590) जो 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान नियमों के आधार पर (4000–6000) समतुल्य ए.सी.पी.–II ग्रेड–पे रू. 2400 प्राप्त कर रहे थे, उनकी परिवर्तित ए.सी.पी.–II ग्रेड–पे दिनांक 01.07.2013 से रू. 3600 हो जायेगी तथा उन्हें 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी.– III में परिवर्तित ग्रेड–पे रू. 4200 प्राप्त होगी।

(vii) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (2550–3200) जो 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान नियमों के आधार पर (2650–4000) समतुल्य ए.सी.पी.–II ग्रेड–पे रू. 1650 प्राप्त कर रहे थे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद की परिवर्तित ग्रेड–पे दिनांक 01.07.2013 से रू. 1700 हो जाने के कारण उन्हें 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी.– II में परिवर्तित ग्रेड–पे रू. 1900 प्राप्त होगी, तथा उन्हें 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी.– III में परिवर्तित ग्रेड–पे रू. 2000 प्राप्त होगी।

5. जिन कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति के पश्चात् दिनांक 01.07.2013 से पूर्व पदोन्नति हो चुकी है, उन्हें पदोन्नति पद पर प्राप्त परिवर्तित ग्रेड–पे के आधार पर ए.सी.पी. देय होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हो गई है तथा जो 01.07.2013 से पूर्व वरिष्ठ लिपिक के पद की ग्रेड–पे रू. 2400 प्राप्त कर रहा था, उन्हें 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी. नियमों के प्रावधान के अन्तर्गत ठीक उच्चतर ग्रेड–पे रू. 2800 अनुज्ञेय थी, उन्हें दिनांक 01.07.2013 से वरिष्ठ लिपिक की परिवर्तित ग्रेड–पे रू. 2800 से next higher ग्रेड–पे रू. 3600 देय होगी।

6. ए.सी.पी. की अनुज्ञेयता के लिये अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी तथा दिनांक 01.07.2013 से पूर्व का किसी प्रकार का एरियर देय नहीं होगा।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ट शासन सचिव।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।

10. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकरी।
12. प्रशासनिक सुधार (कोडिफिकेशन) विभाग।
13. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग।
14. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(डी.के. मित्तल)
संयुक्त शासन सचिव-I,

RPS 2008- 13 /2013